न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम :राजेश कुमार नायक, आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र : 14/2021
निर्णय दिनांक : 18.02.2021

1. डी.बी.गुप्ता पुत्र स्व0 श्री एस.बी. गुप्ता जाति महाजन, निवासी 52, सवाई राम सिंह रोड, जनता कॉलोनी, जयपुर।

वादी

बनाम

1. संग्राम सिंह पुत्र श्री रघुवीर सिंह जाति राजपूत निवासी राजावत फार्मस्, ग्राम कल्याणपुरा, न्यू सांगानेर रोड, मानसरोवर,जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर पता–तहसील कार्यालय सांगानेर जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत विनिमय एंव घोषणा अन्तर्गत धारा 48, 52, 88 व 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी की ओर से एक वाद पत्र न्यायालय में पेश किया। वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम कल्याणपुरा पटवार हल्का कल्याणपुरा भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर में कृषि भूमि खसरा नम्बर 916/106 रकबा 0.1200 हैक्टयर की वर्तमान खातेदारी वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकित है तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 105 रकबा 0.1600 हैक्टयर की वर्तमान खातेदारी प्रतिवादी संख्या एक के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकित है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 916/106 एंव 105 एक ही ग्राम कल्याणपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है तथा उपरोक्त वर्णित कृषि भूमियां आस–पास में स्थित है तथा उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 916/106 रकबा 0.1200 हैक्टयरमें से मिन रकबा 0.0400 हैक्टयर एंव कृषि भूमि खसरा नम्बर 105 रकबा 0.1600 हैक्टयर में से मिन रकबा 0.0400 हैक्टयर की प्रकृति एंव मालियत भी एक समान है। वादी के नाम वर्णित उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 916/106 रकबा 0.1200 हैक्टयर में से मिन रकबा 0.0400 हैक्टयर एंव प्रतिवादी संख्या एक के नाम वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 105 रकबा 0.1600 हैक्टयर में से मिन रकबा 0.0400 हैक्टयर बाबत विनिमय करने हेतु वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य एक लिखित पारस्परिक विनिमय–पत्र (बदल पत्र) कृषि भूमि दिनांक 07 जनवरी सन् 2021 को लेख्य किया गया है तथा इस लेख्य पत्र के अनुसार वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य में उक्त वर्णित कृषि भूमियों का आपस में अदल–बदल तैय पाया गया तथा इसी अनुसार वादी द्वारा अपने नाम वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 916/106 रकबा 0.1200 हैक्टयर में से मिन रकबा 0.0400 हैक्टयर सम्पूर्ण का कब्जा प्रतिवादी संख्या एक को मौके अनुसार वास्तविक रूप से सम्भला दिया तथा उक्त वर्णित भूमि रकबा 0.0400 हैक्टयर का एकमात्र स्वामी एंव काबिज प्रतिवादी संख्या एक को बना दिया तथा इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या एक द्वारा अपने नाम वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 105 रकबा 0.1600 हैक्टयर में से मिन रकबा 0.0400 हैक्टयर भूमि का कब्जा वादी को मौके अनुसार वास्तविक रूप से सम्भला दिया तथा उक्त वर्णित भूमि रकबा 0.0400 हैक्टयर का एकमात्र स्वामी एंव काबिज वादी को बना दिया है।

वादी द्वारा प्रतिवादीगण को उक्त पंजीबद्ध पारस्परिक विनिमय–पत्र (बदल पत्र) के अनुसार कई मर्तबा निवेदन किया जा चुका है कि वादी के नाम वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 916/106 रकबा 0.1200 हैक्टयर में से मिन रकबा 0.0400 हैक्टयर की खातेदारी प्रतिवादी संख्या एक के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर[illegible] नाम वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 105 रकबा 0.1600 हैक्टयर में से मिनरकबा [illegible]00 [illegible]यर की खातेदारी वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे [illegible] टाल–मटोल कर रहा है। वादी द्वारा कई मर्तबा प्रतिवादी संख्या 2 को भी उक्त [illegible]बद्ध पारस्परिक विनिमय पत्र (बदल पत्र) के अनुसार वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य में आपस में अदल–बदल की गई भूमि बाबत वर्तमान जमाबन्दी में नाम अंकित किये जाने हेतु [illegible]दन किया जा चुका है [illegible] प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा तकनीकी कारणों का हवाला देकर ऐसा नही किया जा रहा है तथा इस कारण वादी को विरूद्ध प्रतिवादीगण वाद वास्ते विनिमय एवं घोषणा पेश करना लाजमी हुआ है। वादी घोषणा करवाने का अधिकारी है कि वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य सम्पादित पंजीबद्ध पारस्परिक विनिमय–पत्र (बदल पत्र) के अनुसार उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 916/106

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:33:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांगानेर, जयपुर (द्वितीय)

रकबा 0.1200 हैक्टयर में से मिन रकबा 0.0400 हैक्टयर एंव खसरा नम्बर 105 रकबा 0.1600 हैक्टयर में से मिन रकबा 0.0400 हैक्टयर के अदल–बदल विनिमय को स्वीकृत करते हुए खसरा नम्बर 105 रकबा 0.1600 हैक्टयर में से मिन रकबा 0.0400 हैक्टयर का संलग्न नक्शे अनुसार वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा इसी अनुरूप खसरा नम्बर 916/106 रकबा 0.1200 हैक्टयर में से मिन रकबा 0.0400 हैक्टयर का संलग्न नक्शे अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें, तथा तदनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज कर दरामद किया जावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री मुकेश कुमार शर्मा एडवोकेट ने उपस्थित होकर जवाब दावा प्रस्तुत किया, वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रकरण में राजीनामा प्रस्तुत किया गया। पक्षकारान् को राजीनामा पर सुना गया।

दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र एंव राजीनामा में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए राजीनामा अनुसार वादी को एंव प्रतिवादी संख्या 1 को पंजीबद्ध बदल पत्र कृषि भूमि के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन किया तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने भी अपने जवाब एंव राजीनामा के तथ्यों को दौहराते हुए राजीनामा अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 एंव वादी को पंजीबद्ध बदल पत्र कृषि भूमि के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली मय दस्तावेज का अवलोकन किया गया। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर होता है कि वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य आपसी सहमति से दिनांक 07–01–2021 को वादपत्र में वर्णित भूमि का विनिमय किया गया है तथा उक्त विनिमय के बाबत प्रतिवादी संख्या 2 तहसीलदार सांगानेर के यंहा पर नियमानुसार स्वीकृति चाहने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर प्रतिवादी संख्या 2 तहसीलदार सांगानेर ने अपने आदेश कमांक/भू0अ0/121 दिनांक 07–01–2021 में धारा 48 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत भूमि विनिमय किये जाने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की है तथा उक्त स्वीकृति के अनुसार वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य निष्पादित पारस्परिक विनिमय–पत्र (बदल पत्र) का दस्तावेज उप पंजीयक सांगानेर द्वितीय के यंहा पर नियमानुसार दिनांक 22–01–2021 को पंजीबद्ध किया गया है तथा वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य राजीनामा पत्रावली पर प्रस्तुत हो चुका है।

उक्त विवेचन एंव राजीनामा के आधार पर स्पष्ट है कि वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य सम्पादित पंजीबद्ध पारस्परिक विनिमय–पत्र (बदल पत्र) दिनांकीत 22–01–2021 प्रतिवादी संख्या 2 तहसीलदार सांगानेर की लिखित स्वीकृति दिनांक 07–01–2021 के पश्चात् पंजीबद्ध किया गया है तथा प्रतिवादी संख्या 2 तहसीलदार सांगानेर द्वारा जारी आदेश दिनांक 07–01–2021 एंव पंजीबद्ध दस्तावेज पारस्परिक विनिमय–पत्र (बदल पत्र) दिनांक 22–01–2021 एंव राजीनामा के आधार पर वादी के हक में विनिमय की गयी कृषि भूमि खसरा नम्बर 105 रकबा 0.1600 हैक्टयर में से मिन रकबा 0.0400 हैक्टयर का वादी को सलंग्न नक्शे के अनुसार खातेदार काश्तकार एंव प्रतिवादी संख्या 1 के हक में विनिमय की गयी कृषि भूमि खसरा नम्बर 916/106 रकबा 0.1200 हैक्टयर में से मिन रकबा 0.0400 हैक्टयर का प्रतिवादी संख्या 1 को सलंग्न नक्शे के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित करना उचित समझते है।

उपर्युक्त विवेचन एंव पक्षकारान् के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाता है कि वाके ग्राम कल्याणपुरा पटवार हल्का कल्याणपुरा भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 105 रकबा 0.1600 हैक्टयर में से मिनरकबा 0.0400 हैक्टयर का सलंग्न नक्शे अनुसार वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एंव कृषि भूमि खसरा नम्बर 916/106 रकबा 0.1200 हैक्टयर में से मिन रकबा 0.0400 हैक्टयर का सलंग्न नक्शे अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुरूप अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड अमल दरामद किया जावें। तहसीलदार सांगानेर को निर्णय एंव डिक्री की प्रति प्रमाणित कर पालना हेतु तहरीर के साथ भिजवायी जावे। इसी अनुरूप अंतिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.02.2021 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:33:46 IST
Reason: SelfAttested

(राजेश कुमार नायक)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **उप खण्ड अधिकारी**, जयपुर द्वितीय (सांगानेर) जयपुर व इजलास **श्री राजेश कुमार नायक, आर.ए.एस.**

वाद संख्या : 14 / 2021

1. डी.बी.गुप्ता पुत्र स्व0 श्री एस.बी. गुप्ता जाति महाजन, निवासी 52, सवाई राम सिंह रोड, जनता कॉलोनी, जयपुर।

वादी

बनाम

1. संग्राम सिंह पुत्र श्री रघुवीर सिंह जाति राजपूत निवासी राजावत फार्मस, ग्राम कल्याणपुरा, न्यू सांगानेर रोड, मानसरोवर,जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर पता–तहसील कार्यालय सांगानेर जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत विनियम एंव घोषणा अन्तर्गत धारा 48, 52, 88 व 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी, सॉगानेर द्वितीय जयपुर व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुदई रूबरू वकील प्रतिवादी मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है ।

पक्षकारान् के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवदी डिक्री किया जाता है कि वाके ग्राम कल्याणपुरा पटवार हल्का कल्याणपुरा भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 105 रकबा 0.1600 हैक्टयर में से मिनरकबा 0.0400 हैक्टयर का सलंग्न नक्शे अनुसार वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एव कृषि भूमि खसरा नम्बर 916 / 106 रकबा 0.1200 हैक्टयर में से मिन रकबा 0.0400 हैक्टयर का सलंग्न नक्शे अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड अमल दरामद किया जावें। तहसीलदार सांगानेर को निर्णय एंव डिक्री की प्रति प्रमाणित कर पालना हेतु तहरीर के साथ भिजवायी जावे।

खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18.02.2021 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत ....

ओहदा .... उपखण्ड अधिकारी सांगानेर जयपुर (द्वितीय)

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प जवाब दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:33:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी